पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 मई, 2009 ई0 (बैशाख 12, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–18

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए है, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	149–150	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाए, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	181–189	1500
भाग 2–आज्ञाए, विज्ञप्तिया, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटो के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	27–31	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7 इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग–9

विज्ञप्ति / पदोन्नति

06 अप्रैल, 2009 ई0

संख्या 199 / XXVII(9) / 2009–तात्कालिक प्रभाव से स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड में चयन वर्ष, 2008–09 में अपर महानिरीक्षक, निबंधन, वेतन बैंड–4, रु0 37400–67000 (पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान, रु0 14300–400–18300) के महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष श्री ए0के0 पाण्डे, उप महानिरीक्षक, निबंधन, कार्यालय महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को नियमित चयनोपरान्त पदोन्नत करने के साथ ही 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखते हुए तैनात किया जाता है।

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2009 ई0

संख्या 224 / 2009 / XXVII(8) / सू0अ0अ0 / 05–"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" (2005 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 5 व 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल वाणिज्य कर विभाग के राज्य स्तर हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित / नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मण्डल स्तर

क्र0स0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	2	3	4
1.	मण्डल कार्यालय, मसूरी	असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मसूरी	संबंधित कार्यालयों / खण्डों के वाणिज्य कर अधिकारी (पूर्व पदनाम वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2)
2.	मण्डल कार्यालय, विकास नगर	असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, विकास नगर	संबंधित कार्यालयों / खण्डों के वाणिज्य कर अधिकारी (पूर्व पदनाम वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2)

शासन की पूर्व अधिसूचना संख्या–1227 / XVII(5) / व्या0कर / 2005, दि0 13–10–2005 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा, अधिसूचना की शेष शर्तें एवं अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट / 240–भाग 1–2009 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–सयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0ए-0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 मई, 2009 ई0 (बैशाख 12, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

19 फरवरी, 2009 ई0

पत्रांक 4022 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म–अनु0 / 2008–09 / आ0घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI) जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की सीरीज / क्रमांक
1.	सर्वश्री सहोता पेपर्स लि0 नारायणपुर, जसपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–07	UK-VAT–A 2007 1047222, 012425, 359080, 359657, 359479, 359470, 359471

05 मार्च, 2009 ई0

पत्रांक 4337 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म–अनु0 / 2008–09 / आ0घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI) जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0स0	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की सीरीज / क्रमांक
1.	सर्वश्री गढ़वाल एन्टरप्राईजेज लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK-VAT–A2007 1719245
2.	सर्वश्री गिरधारी लाल जुगमन्दर दास जैन, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK-VAT–A2007 2135012
3.	सर्वश्री शहनाज आयुर्वेदिक लॉघा रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, देहरादून	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK-VAT–A2007 1423226

12 मार्च, 2009 ई0

पत्रांक 4420 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म–अनु0 / 2008–09 / आ0घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI) जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाए प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0स0	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की सीरीज / क्रमांक
1.	सर्वश्री उत्तराचल बायो डीजल लि0, सी 12, सेक्टर–1, डिफे-स कॉलोनी, देहरादून	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK-VAT–A2007 1734437
2.	सर्वश्री दि कन्वेशनल फास्टनर्स डी–4, इण्ड0 एरिया, हरिद्वार	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK-VAT–A2007 1469966

वी0 के0 सक्सेना,
अपर आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
विज्ञप्ति

28 मार्च, 2009 ई0

पत्रांक 4713 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / स0के0 / फार्म–अनु0 / 2008–09 / दे0दून–केन्द्रीय बिक्री कर, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957 अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम 8 (14) में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत एतद्द्वारा विज्ञापित किया जाता है कि (रजिस्ट्रीकरण एवं आवर्त) नियम–1957 के नियम–12 (10) में निर्धारित घोषणा पत्र (फार्म–एच) U.K. VAT-H-2009 (क्रमांक–00001 से 50000 तक) इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्तियों से प्रचलित प्ररूप "एच" भी वैध एवं प्रचलन में रहेंगे, जब तक कि उनको इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति से अप्रचलित घोषित न कर दिया जाये।

U.K. VAT-H-2009 (क्रमांक–00001 से 50000 तक) सीरीज के फार्म–"एच" 80 GSM के मैपलिथो पेपर पर मुद्रित हैं, इनकी बैकग्राउण्ड हल्के पीले (Light Yellow) एवं हल्के गुलाबी (Light Pink) रंग की है तथा बीच में हल्के

गुलाबी रंग की 11 सेन्टी मीटर चौडी पट्टी है। जिसके बीच में उत्तराखण्ड सरकार का लोगो बना है। प्ररूप की मूल प्रति 15 सेमी0, द्वितीय प्रति 15 सेमी0 एवं प्रतिपर्ण प्रति 12 सेमी0 कुल 3 प्रतियों में 42 सेमी0 × 29.7 सेमी0 के साइज में पांच रंगों में छापा गया है। प्ररूप–"एच" की बैकग्राउण्ड में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है। व्यापारी का नाम, पता, माल का विवरण, फार्म नम्बर आदि छपने वाले स्थान की बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग इस प्रकार की गयी है कि एल्कोहल या इक रिमूवर से टैम्परिंग करने पर स्वतः मिट जाए।

प्ररूप–"एच" में पाच सिक्योरिटी फीचर्स रखे गये है।

1–ग्यूलिची पैटर्न में बैक ग्राउण्ड (Guilloche back ground) हल्के हरे, हल्के गुलाबी रंग में प्रिंटिंग की गयी है।

2–प्ररूप–"एच" के उपरी हिस्से में अदृश्य छपाई में (**Invisible printing**) क्षैतिज (**Horizontal**) पट्टी बनाई गई है जिसमें वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड छापा गया है, यह पट्टी अल्ट्रावायलेट प्रकाश में दिखेगी।

3–प्ररूप–"एफ" के ऊपर की तरफ मध्य में छापा गया लोगो Logo (**U.V. Fluroescent ink**) में छापा गया है। यह एण्टी फोटो कॉपियर है।

4–पूरे प्ररूप में यू0वी0 फाइबर (**U.V. Fibre**) डाले गये है जो कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणों में चमकेंगे।

5–प्ररूप में हल्के काले रंग में डिजिटल प्रिंटिंग मशीन द्वारा नम्बरिंग की गयी है।

28 मार्च, 2009 ई0

पत्रांक 4714 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / स0के0 / फार्म–अनु0 / 2008–09 / दे0दू0–केन्द्रीय बिक्री कर, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम–8 (14) में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत एतद्द्वारा विज्ञापित किया जाता है कि (रजिस्ट्रीकरण एवं आवर्त) नियम, 1957 के नियम–12 (1) में निर्धारित घोषणा पत्र (फार्म–सी) U.K. VAT/C-2009 (क्रमांक–000001 से 500000 तक) इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्तियों से प्रचलित प्ररूप "सी" भी वैध एवं प्रचलन में रहेंगे, जब तक कि उनको इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति से अप्रचलित घोषित न कर दिया जाये।

U.K. VAT/C-2009 (क्रमांक–000001 से 500000 तक) सीरीज के फार्म–"सी" 80 GSM के मैपलिथो पेपर पर मुद्रित हैं। यह दो रंगों, समुद्री हरा (Light Green) एवं हल्के भूरे रंग (Light Brown) में छापा गया है तथा बीच में हल्के भूरे रंग की 11 सेन्टी मीटर चौड़ी पट्टी है। जिसके बीच में उत्तराखण्ड सरकार का लोगो बना है। प्ररूप की मूल प्रति 15 सेमी0, द्वितीय प्रति 15 सेमी0 एवं प्रतिपर्ण प्रति 12 सेमी0 कुल 3 प्रतियों में 42 सेमी0 × 29.7 सेमी0 के साइज में पांच रंगों में छापा गया है। प्ररूप–"सी" की बैकग्राउण्ड में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है। प्रत्येक प्रति के मध्य में बैक ग्राउण्ड में हल्के भूरे रंग (**Brown Colour**) में उत्तराखण्ड शासन की सील मुद्रित है। व्यापारी का नाम, पता, माल का विवरण, फार्म नम्बर आदि छपने वाले स्थान की बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग इस प्रकार की गयी है कि एल्कोहल या इक रिमूवर से टैम्परिंग करने पर स्वतः मिट जाए।

प्ररूप–"सी" में पाच सिक्योरिटी फीचर्स रखे गये है।

1–ग्यूलिची पैटर्न में बैक ग्राउण्ड (Guilloche back ground) हल्के हरे, हल्के गुलाबी रंग में प्रिंटिंग की गयी है।

2–प्ररूप–"सी" के उपरी हिस्से में अदृश्य छपाई में (**Invisible printing**) क्षैतिज (**Horizontal**) पट्टी बनाई गई है जिसमें वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड छापा गया है, यह पट्टी अल्ट्रावायलेट प्रकाश में दिखेगी।

3–प्ररूप–"सी" के ऊपर की तरफ मध्य में छापा गया लोगो Logo (**U.V. Fluroescent ink**) में छापा गया है। यह एण्टी फोटो कॉपियर है।

4–पूरे प्ररूप में यू0वी0 फाइबर (**U.V. Fibre**) डाले गये है जो कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणों में चमकेंगे।

5–प्ररूप में हल्के काले रंग में डिजिटल प्रिंटिंग मशीन द्वारा नम्बरिंग की गयी है।

28 मार्च, 2009 ई0

पत्रांक 4715/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/स0के0/फार्म–अनु0/2008–09/दे0दून–केन्द्रीय बिक्री कर, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम–8 (14) में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत एतद्द्वारा विज्ञापित किया जाता है कि केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण एवं टर्नओवर) नियमावली 1957 के नियम–12 (1) मे निर्धारित घोषणा पत्र (प्ररूप–एफ) सीरीज संख्या U.K. VAT/F-2009 (क्रमांक–रु0 000001 से 150000 तक) इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे। जब तक कि इनको अप्रचलित घोषित न कर दिया जाये। इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी विज्ञप्तियों से प्रचलित प्ररूप "एफ" भी वैध एवं प्रचलन मे रहेंगे, जब तक कि उनको इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति से अप्रचलित घोषित न कर दिया जाये।

U.K. VAT/F-2009 (क्रमांक–000001 से 150000 तक) सीरीज के फार्म–"एफ" 80 GSM के मैपलिथो पेपर पर मुद्रित है। इनकी बैकग्राउण्ड हल्के नीले रंग (Light Pink Colour) तथा बीच में हल्के गुलाबी (Light Pink Colour) रंग की 11 सेन्टी मीटर चौडी पट्टी है। जिसके बीच मे उत्तराखण्ड सरकार का लोगो बना है। प्ररूप की मूल प्रति 15 सेमी0, द्वितीय प्रति 15 सेमी0 एव प्रतिपर्ण प्रति 12 सेमी0 कुल 3 प्रतियों में 42 सेमी0 × 29.7 सेमी0 के साइज मे पाच रंगो मे छापा गया है। प्ररूप–"एफ" की बैकग्राउण्ड मे वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है। व्यापारी का नाम, पता, माल का विवरण, फार्म नम्बर आदि छपने वाले स्थान की बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग इस प्रकार की गयी है कि एल्कोहल या इक रिमूवर से टैम्परिंग करने पर स्वत: मिट जाए।

प्ररूप–"एफ" मे पाच सिक्योरिटी फीचर्स रखे गये हैं।

1–ग्यूलिची पैटर्न में बैक ग्राउण्ड (Guilloche back ground) हल्के हरे, हल्के गुलाबी रंग में प्रिंटिंग की गयी है।

2–प्ररूप–"एफ" के उपरी हिस्से मे अदृश्य छपाई में (Invisible printing) क्षैतिज (Horizontal) पट्टी बनाई गई है जिसमें वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड छापा गया है, यह पट्टी अल्ट्रावायलेट प्रकाश मे दिखेगी।

3–प्ररूप–"एफ" के ऊपर की तरफ मध्य मे छापा गया लोगो Logo (U.V. Fluroescent ink) मे छापा गया है। यह एण्टी फोटो कॉपियर है।

4–पूरे प्ररूप मे यू0वी0 फाइबर (U.V. Fibre) डाले गये है जो कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणों मे चमकेंगे।

5–प्ररूप मे हल्के काले रंग मे डिजिटल प्रिंटिंग मशीन द्वारा नम्बरिंग की गयी है।

28 मार्च, 2009 ई0

पत्रांक 4716/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/स0के0/फार्म–अनु0/2008–09/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 30 के उप नियम 13 के अन्तर्गत विज्ञापित किया जाता है कि नियम 26 के उपनियम–3 मे निर्धारित "आयात के लिए घोषणा पत्र" (प्ररूप–16) सीरीज संख्या–U.K. VAT/B-2009 (क्रमांक–0100001 से 1250000 तक) इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे और तब तक प्रचलन मे रहेंगे जब तक वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिए जाये। इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी विज्ञप्तियों से U.K. VAT/A-2007 की सीरीज के 0000001 से 2500000 तक तथा U.K. VAT/B-2009 सीरीज के 0100001 से 01000000 तक प्ररूप–16 भी वैध एवं प्रचलन मे रहेंगे, जब तक कि इनको अप्रचलित घोषित न कर दिया जाये।

उक्त सीरीज एवं क्रमांक के प्ररूप–16 जाच चौकियों पर इसकी उपरोक्त वैधता एवं प्रचलन की अवधि मे स्वीकार किये जाते रहेंगे।

U.K. VAT/B-2009 (क्रमांक–0100001 से 1250000 तक) सीरीज के प्रपत्र भी 80 जी0एस0एम0 के वाटर मार्क मैपलिथो पेपर पर मुद्रित हैं। इनका बैकग्राउण्ड हल्के हरे व गुलाबी (Light Green & Pink) मे है। इनकी मूल प्रति 15 से0मी0, द्वितीय प्रति 15 से0मी0 एव प्रतिपर्ण 12 से0मी0, कुल तीन प्रतियों मे 42 से0मी0 × 29.7 सेमी0 के साइज मे पाच रंगों मे छापा गया है। प्रत्येक प्रति के ऊपरी हिस्से पर नारंगी रंग (Orange Colour) में उत्तराखण्ड शासन का लोगो (Logo) बना है। फार्म की मूल प्रति के ऊपर दाहिनी तरफ चार लाइट ग्रीन कलर के वर्टिकल बॉक्स बनाये गये हैं तथा इनमें 1, 2, 3, 4 अकित किया गया है। कर निर्धारण कार्यालय का कोड अकित करने के लिए मूल प्रति के नीचे दाहिनी तरफ क्रमश: 0 से 9 एवं 0 से 9 तक ऐसे वर्टिकल बॉक्स बनाये गये हैं जिनमे क्रमश: 0 से 9 तथा

0 से 9 तक के क्रमाक अंकित हैं तथा इन अंकों के दाहिनी तरफ एक–एक स्टार बनाये गये हैं। प्ररूप–16 की बैकग्राउण्ड मे वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है प्रत्येक प्रति के मध्य में बैक ग्राउण्ड में हल्के गुलाबी रंग (Pink Colour) में उत्तराखण्ड शासन की सील मुद्रित है। व्यापारी का नाम, पता, माल का विवरण, फार्म नम्बर आदि छपने वाले स्थान की बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग इस प्रकार की गयी है कि एल्कोहल या इंक रिमूवर से टैम्परिंग करने पर स्वतः मिट जाए।

प्ररूप–16 में निम्नलिखित सिक्योरिटी फीचर्स डाले गये हैं :–

1–ग्यूलिची पैटर्न मे बैक ग्राउण्ड (Guilloche back ground) हल्के हरे, हल्के गुलाबी रंग मे प्रिंटिंग की गयी है।

2–प्ररूप–16 की मूल प्रति में दाहिनी तरफ बने चार वर्टिकल बॉक्सेस मे से क्रमाक–03 एव 04 के बीच से अदृश्य छपाई मे (Invisible printing) क्षैतिज (Horizontal) पट्टी बनाई गई है जिसमें वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड छापा गया है, यह पट्टी अल्ट्रावायलेट प्रकाश मे दिखेगी, इसी तरह प्ररूपों की तीनों प्रतियों मे दाहिनी ओर पट्टी के नीचे उत्तराखण्ड का लोगो (Logo) अदृश्य छपाई मे (Invisible printing) मे छापा गया है। यह लोगो (Logo) भी अल्ट्रावायलेट किरणों मे दिखेगा।

3–प्ररूप–16 के ऊपर की तरफ मध्य मे छापा गया लोगो Logo (U.V. Fluroescent ink) में छापा गया है। यह एण्टी फोटो कॉपियर है।

4–पूरे प्ररूप मे यू0वी0 फाइबर (U.V. Fibre) डाले गये है जो कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणो मे चमकेंगे।

5 प्ररूप मे हल्के काले रंग मे डिजिटल प्रिंटिंग मशीन द्वारा नम्बरिंग की गयी है।

6–आयुक्त कर कार्यालय द्वारा परिपत्र सख्या 4354/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/कम्प्यू0–अनु0/2008–09/देहरादून, दिनाक 05–03–2009, जो कि प्ररूप 16 के सम्बन्ध मे एन0आई0सी0 द्वारा जारी कोड जिसमें डिप्टी कमिश्नर, कर निर्धारण का कार्यालय कोड 01 तथा असिस्टैन्ट कमिश्नर, कर निर्धारण का कार्यालय कोड 02 आवटित करते हुए चारो सम्भागो को क्रमशः वाणिज्य कर सम्भाग, देहरादून के लिये 01 से 20, वाणिज्य कर सम्भाग, हरिद्वार के लिये 21 से 40, वाणिज्य कर सम्भाग, काशीपुर के लिये 41 से 60 तथा वाणिज्य कर सम्भाग, नैनीताल के लिये 61 से 80 तक कोड आवटित किये गये हैं। प्ररूप–16 के सम्बन्ध मे परिपत्र मे दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

दी0 के0 सक्सेना,
प्रभारी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश

आदेश

06 मार्च, 2009 ई0

पत्रांक 123/1/लाईसेंस/08–श्री आशीष काला, पुत्र श्री पुरषोत्तम काला, निवासी–ग्राम मयाली, पटटी लस्या, जिला टिहरी गढ़वाल द्वारा वाहन स0 UA07P-573 का संचालन क्षमता से अधिक सवारी ढोने मे किया जा रहा था। उपजिलाधिकारी, जखोली, टिहरी गढ़वाल द्वारा उनके लाईसेंस स0 2537/RKS/06 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्की वाहन (व्यव0) चलाने हेतु दिनाक 28–8–09 तक जारी किया गया है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की सस्तुति की गयी थी। लाईसेसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सुना गया है।

अतः सुनवाई के उपरांत लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप मे, मैं, श्री दिनेश चन्द्र पठोई, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेंस स0 2537/RKS/06 को दिनांक 26–2–09 से 25–4–09 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूं।

06 सितम्बर, 2008 ई०

पत्रांक 156/3/लाईसेंस/08–श्री सोनू पुत्र श्री ईलम चन्द्र, निवासी–67, इंदिरानगर, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा वाहन सं० UA07R-7465 का संचालन क्षमता से अधिक सवारी ढोने में किया जा रहा था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके लाईसेंस स० S-3076/RKS/04 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्की वाहन (व्यव०) चलाने हेतु दिनांक 29–10–2010 तक जारी किया गया है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सुना गया है।

अतः सुनवाई के उपरांत लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, श्री दिनेश चन्द्र पठोई, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं० S-3076/RKS/04 को दिनांक 2–3–09 से 1–6–09 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूं।

08 मार्च, 2009 ई०

पत्रांक 1334/लाईसेंस/08–श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोविंद सिंह, निवासी–थालाघार, पो० आदिबद्री, थाना कर्णप्रयाग, जिला चमोली को दिनांक 22–1–09 को वाहन चैकिंग के दौरान थाना कर्णप्रयाग जिला चमोली गढ़वाल की पुलिस द्वारा वाहन सं० UA07K-9092 का संचालन शराब के नशे में करते पाया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली ने अपने पत्रांक आर–68/2008, दिनांक 17–10–08 के द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह के लाईसेंस सं० 6595/RKS/99 जो कि इस कार्यालय द्वारा नवीनीकरण किया गया है तथा दिनांक 2–11–2009 तक वैध है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। उक्त चालक का चिकित्सा परीक्षण भी कराया गया जिसमें उक्त चालक के शराब पीने की पुष्टि हुई है। इस कार्यालय के पत्रांक सं० मैमो/लाईसेंस/08, दिनांक 5–2–09 के माध्यम से श्री नरेन्द्र सिंह को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया, जिसके प्रति उत्तर में श्री नरेन्द्र द्वारा दिनांक 2–2–09 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा शराब पीकर वाहन का संचालन करने के अभियोग को स्वीकार किया गया।

अतः सुनवाई के उपरांत लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, श्री दिनेश चन्द्र पठोई, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं० 6595/RKS/99 को निरस्त करता हूं।

08 मार्च, 2009 ई०

पत्रांक 1335/लाईसेंस/08–श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र नन्दराम, निवासी–बमणगाव, पट्टी क्वीली, जिला टिहरी गढ़वाल को दिनांक 4–7–08 को वाहन चैकिंग के दौरान कोतवाली टिहरी के अंतर्गत वाहन सं० UP09–6827 का संचालन शराब के नशे में करते पाया गया। पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्रांक आर–1–21/2008, दिनांक 7–07–08 के द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह के लाईसेंस सं० N-1177/RKS/99 जो कि इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30–1–99 को हल्की वाहन (व्यव०) चलाने हेतु दिनांक 26–5–08 तक जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। उक्त चालक का चिकित्सा परीक्षण भी कराया गया जिसमें उक्त चालक के शराब पीने की पुष्टि हुई है। इस कार्यालय के पत्रांक सं० मैमो/लाईसेंस/08, दिनांक 11–7–08 के माध्यम से श्री नरेन्द्र सिंह को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।

अतः सुनवाई के उपरांत लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, श्री दिनेश चन्द्र पठोई, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेंस सं० N-1177/RKS/99 को निरस्त करता हूं।

08 मार्च, 2009 ई०

पत्रांक 1336/लाईसेंस/08–श्री गंगा सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम किमोठा, तिलणी तहसील व जिला रुद्रप्रयाग को दिनांक 3–12–08 को वाहन चैकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत वाहन सं० UA07C-1274 का संचालन शराब के नशे में करते पाया गया। पुलिस उपाधीक्षक, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक सी०ओ०–डीएल नि०/2008, दिनांक 25–12–08 के द्वारा श्री गंगा सिंह के लाईसेंस सं० J-552/RKS/02 जो कि इस कार्यालय द्वारा दिनांक 3–10–02 को हल्की वाहन (व्यव०) चलाने हेतु दिनांक 2–10–2011 तक जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। उक्त चालक का चिकित्सा परीक्षण भी कराया गया जिसमें उक्त

चालक के शराब पीने की पुष्टि हुई है। इस कार्यालय के पत्रांक सं0 मैमो/लाईसेंस/08, दिनांक 16–1–09 के माध्यम से श्री गंगा सिंह को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।

अतः सुनवाई के उपरांत लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, श्री दिनेश चन्द्र पठोई, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेंस सं0 J-552/RKS/02 को निरस्त करता हूं।

दिनेश चन्द्र पठोई,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), ऋषिकेश।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

20 मार्च, 2009 ई0

पत्र संख्या 965/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/08–श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह, ग्राम जुई, पो0 नौदान्, पौडी गढवाल, जिसका लाईसेन्स संख्या जे0–209/कोटद्वार/01, दिनांक 18–03–2010 तक वैध है, का चालान वाहन संख्या यू0ए0 4–1573 में कुल 10 के सापेक्ष कुल 12 व्यक्ति ले जाने के अपराध में दिनांक 06–02–2008 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा किया गया था। चालक को पत्र संख्या 910/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/09, दिनांक 25–02–2009 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। चालक ने दिनांक 19–03–2009 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जो सतोषजनक नही पाया गया।

अतः लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेन्स संख्या जे0–209/कोटद्वार/01 को दिनांक 19–03–2009 से 18–04–2009 तक निलम्बित करता हूं।

20 मार्च, 2009 ई0

पत्र संख्या 976/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/08–दिनांक 16–06–2010 तक वैध, श्री दीवान कुमार पुत्र श्री भरत लाल, निवासी ग्राम–बडगोलू, पो0 सतपुली, पौड़ी गढ़वाल के लाईसेन्स संख्या 377/कोटद्वार/का चालान वाहन संख्या यू0ए0 7 जे0–5584 कुल 06 के सापेक्ष कुल 10 व्यक्ति ले जाने के अपराध में दिनांक 18–03–2009 का प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा किया गया था। चालक को पत्र संख्या 964/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/09, दिनांक 20–03–2009 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। चालक ने दिनांक 20–03–2009 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेन्स संख्या 377/कोटद्वार को दिनांक 20–03–2009 से 19–06–2009 तक निलम्बित करता हूं।

20 मार्च, 2009 ई0

पत्र संख्या 977/सा0प्रशा0/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/08–दिनांक 14–10–2007 तक वैध श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह, निवासी ग्राम शिबुनगर, कोटद्वार, पौडी गढ़वाल के लाईसेन्स सख्या वी0 127/कोटद्वार/99 को निरस्त करने की संस्तुति उपजिलाधिकारी, कोटद्वार ने दिनांक 27–01–2009 को जीप टैक्सी संख्या यू0पी0 01–3887 में कुल 07 के सापेक्ष कुल 12 व्यक्ति ले जाने, रुकने का संकेत देने पर वाहन को न रोकने, वाहन तेज गति से चलाने के अपराध में उनके द्वारा किये गये चालान के आधार पर की है। चालक को कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 929/लाईसेन्स–निरस्तीकरण/09, दिनांक 03–03–2009 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था परन्तु दिनांक 20–03–2009 तक चालक न तो स्वय उपस्थित हुए और न ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

अतः ओवर लोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपजिलाधिकारी, कोटद्वार गढवाल की उपरोक्त संस्तुति के आधार पर लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकरी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा-1(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14-10-2007 तक वैध उपरोक्त लाईसेन्स संख्या वी0 127/कोटद्वार/99 को निरस्त करता हूं।

06 अप्रैल, 2009 ई0

पत्र संख्या 16/सा0प्रशा0/लाईसेन्स-निरस्तीकरण/09-श्री मो0 रफीक पुत्र श्री असगर, ग्राम-बालासौड, कोटद्वार, जिला-पौडी गढवाल, जिसका लाईसेन्स संख्या 1106/कोटद्वार/05 जो दिनाक 12-08-2011 तक वैध है, का चालान वाहन संख्या यू0पी06-6293 में कुल 06 के सापेक्ष कुल 12 व्यक्ति ले जाने के अपराध में, दिनांक 19-03-2009 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा किया गया था। चालक को पत्र संख्या 977/लाईसेन्स/09, दिनांक 21-03-2009 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। चालक ने दिनाक 04-04-2009 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जो संतोषजनक नही पाया गया।

अतः लाईसेन्स अधिकारी के रूप मे, मैं, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेन्स संख्या 1106/कोटद्वार/05 को दिनाक 06-04-2009 से 05-07-2009 तक निलम्बित करता हूं।

करम सिंह,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढवाल संभाग, पौड़ी

आदेश

17 मार्च, 2009 ई0

पत्र संख्या 499/लाईसेंस/निलम्बन/2009-श्री कमल सिंह नेगी पुत्र श्री उमेद सिंह नेगी, निवासी ग्राम-नौलली, पो0 तोली, पट्टी-कपोलस्यूँ, जिला पौडी गढवाल जिसका चालक लाइसेंस संख्या-13141/पी0/2006 जो कि दिनाक 14-11-2009 तक वैध है, का चालान वाहन संख्या-यू0ए0 12ए0-1942 मैक्सी कैब मे क्षमता से अधिक सवारी परिवहन करने के अपराध में दिनांक 15-01-09 को प्रवर्तन अधिकारी कोटद्वार द्वारा किया गया है। चालक को कार्यालय के पत्रांक संख्या 101/प्रशा0/लाई0/09, दिनाक 23-01-2009 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया। चालक ने दिनाक 17-03-09 मे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो कि संतोषजनक नही था।

अतः सुनवाई के उपरान्त लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप मे, मैं, श्री एम0एस0 रावत, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी इस प्रकार के कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेंस संख्या-13141/पी0/2006 को दिनांक 17-03-08 से दिनांक 15-04-09 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हूं।

20 मार्च, 2009 ई0

पत्र संख्या 498/लाईसेंस/निलम्बन/2009-श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री सते सिंह, निवासी ग्राम व पो0-कान्डा, जिला पौडी गढवाल जिसका चालक लाईसेंस संख्या-11535/पी0/2005, जो कि दिनांक 30-05-2009 तक वैध है, का चालान वाहन संख्या-यू0पी0 06-4712 मे क्षमता से अधिक सवारी परिवहन करने के अपराध में दिनाक 03-02-09 को प्रवर्तन अधिकारी, पौडी द्वारा किया गया था। चालक को कार्यालय के पत्रांक संख्या 251/प्रशा0/लाई0/09, दिनाक 06-02-2009 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया। चालक ने दिनांक 20-03-09 मे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो कि संतोषजनक नही था।

अतः सुनवाई के उपरांत लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, श्री एम0एस0 रावत, सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, पौडी इस प्रकार के कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेंस संख्या–11535/पी0/2005 को दिनांक 20–03–09 से दिनांक 18–05–09 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हू।

एम0 एस0 रावत,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
पौडी।

कार्यालय, व्यवस्था अधिकारी, उत्तराखण्ड निवास चाणक्य पुरी, नई दिल्ली–21

संख्या–उ0नि0/468/2008 नई दिल्ली दिनांक–11–11–2008

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

महोदय,

राज्य सम्पत्ति विभाग, अनुभाग–1 के प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या–221/XXXII/2008, देहरादून, दिनांक 10 नवम्बर, 2008 के अनुपालन में मेरे (रंजन मिश्रा, वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी) द्वारा उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली अतिथि गृह में वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी के पद पर अपना कार्यभार आज दिनांक 11–11–2008 के पूर्वाह्न में ग्रहण कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली में वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी के पद पर मेरी ज्वाईनिंग स्वीकार करने की कृपा करें।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

रंजन मिश्रा,
वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/240–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 मई, 2009 ई0 (बैशाख 12, 1931 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

पंचायती राज विभाग

कार्यालय, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

उपविधियां

09 अप्रैल, 2009 ई0

संख्या 898 / 23–94 (2007–08)–जिला पंचायत, उत्तरकाशी द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961 की धारा 143 तथा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, उत्तरकाशी की सीमान्तर्गत माघ मेले हेतु विज्ञप्ति संख्या आर–1124 / 23–31 (77–78) दिनांक 8–12–1978 द्वारा पूर्व में बनायी गयी उपविधियों में संशोधन करते हुए संशोधित उपविधियां बनाई गयी हैं। इन सशोधित उपविधियों को आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी उक्त अधिनियम की धारा–242(2) के प्रयोजनार्थ पुष्टि करने के उपरान्त प्रकाशित करते हैं।

यह सशोधन शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

उपविधि संख्या 1–

माघ मेला एवं विकास प्रदर्शनी, उत्तरकाशी गंगनानी मेले / अन्य मेले का सम्पूर्ण कार्य अध्यक्ष / अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी के प्रत्यक्ष देख–रेख में सम्पन्न होगा। अध्यक्ष, जिला पंचायत के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :–

(अ) माघ मेला से सम्बन्धित कार्यों के प्राक्कलन स्वीकृत करना, टेण्डर आमंत्रित करना एवं स्वीकृत करना।

(ब) माघ मेला एवं विकास प्रदर्शनी के संचालन हेतु पंचायत का अनुमोदनीय बजट स्वीकृत करना।

(स) आवश्यकतानुसार किसी कार्य को ठेके के अतिरिक्त दैनिक श्रम से करने की स्वीकृति प्रदान करना।

(द) मेले में विशेष प्रकार की दुकानों एवं स्टालों के लिये स्थान नियत करना तथा नयी प्रकार से दुकानों को आकर्षित करना, साज–सज्जा करवाना। इसके लिये जिले की बाहरी ऐजेन्सियों से धन प्राप्त करना हो तो उससे चन्दा वसूल करवाना। इस सम्बन्ध में उठने वाले विवादों का निस्तारण मेले की अवधि मकर सक्रान्ति के दो दिन पूर्व से तथा मेला अवधि में किया जावेगा। मेलावधि 14 से 25 तक कुल 12 दिन तक होगी। फील्ड को प्रदर्शनी हेतु कम से कम 2 माह पूर्व तथा मेले के 15 दिन के पश्चात् तक के लिये अधिगृहित किया जायेगा। सम्पूर्ण बाजार को मेले के अन्तर्गत लिया जावेगा जिसकी सीमा सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र तथा जोशियाड़ा, तिलोथ आदि सम्पूर्ण ग्रामीण बाजार होंगे।

उपविधि संख्या 2–

मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी पदेन मेला अधिकारी/अपर मेलाधिकारी होंगे तथा मेले के संचालन में उनके निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :–

(अ) जिला पंचायत के कर्मचारियों में मेले के कार्य का विभाजन करना।

(ब) मेले में आय–व्यय पर नियंत्रण रखना एवं हर प्रकार से वित्तीय लेखों पर दृष्टि रखना।

(स) मेले से सम्बन्धित देयकों की वसूली कराना।

(द) मेले के संचालन से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्र–व्यवहार करना एवं सम्पूर्ण निर्माण कार्यों की देख रेख करना एवं उनका आवंटन करना, दुकानों तथा खेल तमाशों आदि हेतु जगह का आवंटन उच्चतम बोली अथवा किराया आदि निर्धारित कर लिया जावेगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला पंचयत के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(य) दुकानों का वितरण करना एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत के निर्देश में नाट्यशाला, सिनेमा, सर्कस इत्यादि के स्थान नियत करना।

उपविधि संख्या 3–

कार्याधिकारी पदेन सहायक मेला अधिकारी होंगे तथा मुख्याधिकारी के कार्यों में उन्हें सहयोग देंगे तथा मुख्य अधिकारी की देख–रेख में वसूली एवं अन्य कार्यों का संचालन करेंगे।

उपविधि संख्या 4–

अभियन्ता, जिला पंचायत के मेले के संचालन के लिये निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(अ) मेले के निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार करना तथा मेले के सौन्दर्यीकरण के लिये प्रस्ताव तैयार करना। जिससे आय श्रोतों में वृद्धि हो सके एवं नये तरीकों से मेले में अच्छी आय लाने हेतु कदम उठाने का दायित्व होगा।

(ब) मेले के समस्त निर्माण कार्यों का सम्पादन एवं तकनीकी नियंत्रण अध्यक्ष/मुख्य अधिकारी के निर्देशानुसार करना।

(स) मेले के निर्माण कार्य हेतु दैनिक श्रमिकों की संख्या नियत कराना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन्हें पारिश्रमिक वितरण करना अथवा ठेके के माध्यम से कार्य करवाने पर ठेकेदार पर पूर्ण नियन्त्रण रखना।

उपविधि संख्या 5–

मेले में जो दुकानें लगाई जायेंगी, उनके लिये दुकानदार मेला अधिकारी/सहायक मेला अधिकारी, जिला पंचायत अथवा जिला पंचायत के अन्य अधिकृत कर्मचारियों के पास निर्धारित शुल्क जमा कर दुकानें लगाने की अनुमति प्राप्त करेगा, तत्पश्चात् उसे दुकान आवंटित की जावेगी। बिना शुल्क जमा किये मेले में कोई भी दुकानदार एवं अन्य व्यवसायी किसी प्रकार की दुकान, होटल, सिनेमा, सर्कस, खोमचा, फेरी आदि नहीं लगा सकता है और न लगाने की आज्ञा दी जायेगी। सम्पूर्ण वसूली कार्याधिकारी के नियंत्रण में की जायेगी।

उपविधि संख्या 6–

मेले में आज की तकनीकी के अनुसार उभरते कलाकारों/प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु मेले में सांस्कृतिक/अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उनके लिये स्थान तय करना तथा प्रतियोगितात्मक कलाकारों, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना।

उपविधि संख्या 7–

दुकानों का आवंटन केवल मेले के समय तक (जो निर्धारित होगा) के लिये किया जावेगा और यदि दुकानदार अथवा व्यवसायी दुकान अथवा स्थान खाली न करे तो उसे निर्धारित तिथि के पश्चात् 200.00 रु0 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क देना होगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् उसे पंचायत द्वारा कोई सुविधा (यदि कोई हो) देय न होगी। यदि पंचायत चाहे तो जबरन स्थान खाली करवा सकेगी।

उपविधि संख्या 8–

(अ) दुकानों का आवंटन 2.50 प्रति वर्ग फिट के स्थान पर व्यवसायिक दुकानों का आवंटन आम नीलामी द्वारा किया जायेगा तथा सरकारी/विभागीय प्रदर्शनी के स्टालों का आवंटन मेला समिति/अध्यक्ष/मेलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर किया जावेगा। चर्खी, सिनेमा, सर्कस, नाट्यशाला हेतु भूमि का आवंटन टेण्डर प्रक्रिया से सम्पादित किया जावेगा। फड़ी हेतु जगह तथा शुल्क का निर्धारण भी अध्यक्ष, जिला पंचायत/मेलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ब) मेले में प्रत्येक स्टाल पर एक बल्ब 100 वाट तक पंचायत द्वारा निःशुल्क दिया जावेगा। अतिरिक्त विद्युत जिला पंचायत की अनुमति से लगाई जावेगी। अतिरिक्त विद्युत उपभोग पर पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर उपभोग यूनिट/बल्ब/ट्यूब के अनुसार देय होगी।

(स) माघ मेला एवं विकास प्रदर्शनी प्रांगण में शुल्क एवं कर वसूली केवल जिला पंचायत ही करेगी। अन्य संस्था/व्यक्ति इस प्रकार के शुल्क की वसूली नहीं करेंगे। यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में मुख्य अधिकारी/मेला अधिकारी/अपर मेलाधिकारी से आवश्यक स्वीकृति ली जायेगी, तभी वे किसी प्रकार की शुल्क वसूली कर सकेंगे।

उपविधि संख्या 9–

अध्यक्ष, जिला पंचायत को अधिकार होगा कि वह विशेष कारणों से किसी सरकारी विभाग को नुमाईश हेतु दुकानों का आवंटन निःशुल्क एवं कर शुल्क में छूट प्रदान करे।

उपविधि संख्या 10–

प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को जिन्हें पंचायत की ओर से दुकान के कार्य हेतु सामान दिया गया हो या उनकी दुकान पर लगाया गया हो, की पूर्ण देख–रेख करेंगे और दुकान छोडते समय उक्त सामान को पंचायत के कर्मचारी जो इस कार्य हेतु प्राधिकृत हों, के समक्ष सत्यापन करावेंगे। अनावश्यक रूप से बेकार किये गये सामान अथवा कम पाये गये सामान की कीमत सम्बन्धित व्यक्ति को अदा करनी होगी।

उपविधि संख्या 11–

यदि किसी दुकान, ठेली, खोमचे आदि से मेले के यातायात में अवरुद्ध उत्पन्न होता है तो ऐसी दुकाने, ठेली, खोमचे आदि को पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हटाया जा सकता है और उसे किसी अन्य स्थान पर लगाया जा सकता है। ऐसा करने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया जायेगा।

उपविधि संख्या 12–

मेले के अन्दर किसी राजनैतिक पार्टी का कैम्प लगाने की अथवा राजनैतिक प्रचार करने की आज्ञा नहीं होगी।

उपविधि संख्या 13–

मेले के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसे उपदेश, भाषण अथवा प्रदर्शनी जिसमें किसी धर्म के व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुचे या शान्ति भंग होने का अंदेशा हो, देने अथवा करने की आज्ञा नहीं होगी।

उपविधि संख्या 14–

मेले के अन्दर जुआ खेलना, खिलाना, फिरकी तथा रिंग लगाना, ऐसे कोई व्यापार जो जुये की सीमा में आता हो वर्जित होगा। प्रतिबन्ध यह है, कि यदि कोई खेल जिसकी स्वीकृति शासन से प्राप्त हो तथा मेला में लगाया जाना आवश्यक समझा जाय तो ऐसे खेल को मेले में लगाने की स्वीकृति दी जायेगी।

उपविधि संख्या 15–

मेले के दौरान किसी व्यक्ति को मेले के मुख्य मार्ग से मोटर, ट्रक या जीप ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

उपविधि संख्या 16–

मेले में स्वास्थ्य, सफाई एव जन स्वास्थ्य के समस्त कार्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी/मेला अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जावेगा तथा उनके लिये वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(अ) यदि स्वास्थ्य अधिकारी/मेला अधिकारी/सहायक मेला अधिकारी या उनके अधीनस्थ स्वास्थ्य निरीक्षक किसी खाने व पीने की वस्तु को जनस्वास्थ्य के लिये हानिकारक समझे तो उसे बिना क्षतिपूर्ति के नष्ट किया जा सकेगा।

(ब) किसी सक्रामक अथवा छूत की बीमारी से पीडित व्यक्ति को खाद्य सामग्री बेचने का अधिकार नहीं होगा।

(स) समस्त हलवाई, चाट, खोमचे, चाय की दुकान वाले को जूठे पत्तल, कागज व अन्य गन्दी चीज अपने आदमियों से कूड़ेदान में या ऐसे स्थान पर फेंकवाना होगा जो नियत किया जावेगा।

(द) खाद्य सामग्री बेचने वाले तथा होटल मालिकों को होटल के अन्दर तथा अपने चारों ओर सफाई का प्रबन्ध स्वास्थ्य अधिकारी/मेला अधिकारी/सहायक मेला अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक के संतोषानुसार रखवाना होगा।

(य) समस्त खेल, तमाशे, सिनेमा, सर्कस मालिकों को भी सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। इसका निरीक्षण स्वास्थ्य निरीक्षक अथवा जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा (जो अधिकृत हों) किया जा सकता है।

उपविधि संख्या 17–

अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तरकाशी जिला पंचायत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को, जिन्होंने मेले के संचालन में विशेष कार्य किया हो, पारितोषिक के रूप में पारिश्रमिक स्वीकृत कर सकते हैं, जो अधिक से अधिक 1500/– रु0 प्रति कर्मचारी होगा।

उपविधि संख्या 18–

मेले में जिले से तथा जिले के बाहर से अन्य जनपदों से भी पार्टी बुलाई जा सकती है। जनपद में विभिन्न विकास खण्डों में आने वाली टीम का तथा जिला स्तर पर टीम का चुनाव किया जायेगा। इसके बाद उसे जिले में प्रतिभाग करना होगा। फिर जिला स्तर पर कम्पिटिशन होकर उनका चुनाव किया जावेगा।

जिले मे प्रतिभाओं को उभारने के लिये टी0वी0 चैनलों को आमंत्रित किया जायेगा। इन चैनलों द्वारा संचार करने हेतु आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

उत्तराखण्ड की पौराणिक परम्पराओं को उभारने के लिये जहा कि पौराणिक संस्कृति के स्वरूप को वाद्ययन्त्र जैसे ढोल संसार के विस्तार हेतु प्रतियोगिता पाण्डव नृत्य, डोली नृत्य आदि को उभारने हेतु आयोजन किया जायेगा। इन सभी लोक नृत्यों पर चैनलों के माध्यम से प्रचार किया जायेगा। इसके लिये लोक संस्कृति विभाग द्वारा भी सहायता ली जायेगी।

कला संस्कृति को उभारने हेतु यहां के कलाकारो को प्रोत्साहन हेतु कार्यक्रम किया जावेगा।

वास्तुशिल्पकार तथा मूर्तिकार तथा अन्य छिपी हुई प्रतिभाओं को उभारने का कार्य इस मेले में किया जायेगा।

अन्य

1–माघ मेले की अवधि 14 जनवरी से 25 जनवरी तक होगी तथा अन्य मेलों की अवधि का निर्धारण जिला पचायत द्वारा किया जावेगा।

2–पौराणिक माघ मेले की संस्कृति के स्वरूप को आकर्षित करने हेतु टी0वी0 चैनलों एव वाद्ययन्त्रो के द्वारा प्रचार किया जावेगा।

3–मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमो में स्थानीय सांस्कृतिक दलों के अतिरिक्त लोक संस्कृति विभाग तथा सूचना विभाग के सांस्कृतिक दलों को भी सम्मिलित/आमंत्रित किया जावेगा।

4–जनपद में लगने वाले अन्य धार्मिक मेलों/विकास मेलों पर भी यह उपनियम लागू होंगे।

5–मेले में दुकानों का निर्माण रामलीला मैदान में फोल्डिग स्ट्रक्चर के रूप में किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर स्टाल भी लगाये जावेंगे।

6–मेले का स्वरूप सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन तथा प्रतिभाओं को उठाने के लिये किया जावेगा।

7–मेले का क्षेत्र रामलीला मैदान, सम्पूर्ण बाजार तथा जोशियाड़ा होगा।

8–मेले में जिला स्तरीय अधिकारियो को भी आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी जावेगी।

9–विद्युत विभाग को मेला क्षेत्र तथा निकटतम अन्य क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था मेलाधिकारी के अनुरूप करनी होगी। जल संस्थान को मेला क्षेत्र मे पीने के पानी की व्यवस्था तथा फव्वारे आदि की व्यवस्था करनी होगी।

10–परिवहन विभाग को यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा मेले में आने वालों के लिये अतिरिक्त बसों/टैक्सियों की व्यवस्था करनी होगी।

11–मेले में औद्योगिक विकास से सम्बन्धित सभी प्रकार के उद्योगों को प्रचार–प्रसार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

12–गगनानी मे लगने वाले मेले/अन्य धार्मिक मेलों को भी इसी तरह संचालित किया जावेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हए, जो कोई भी व्यक्ति किसी उपविधि का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया तो उसे 1000.00 रु0 अर्थदण्ड दिया जा सकेगा तथा प्रथम दोष सिद्धि के बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिससे यह प्रमाणित हो जाये कि अपराधी ने अपराध निरन्तर जारी रखा है, 50.00 रु0 प्रतिदिन तक जुर्माना भी हो सकता है। अर्थदण्ड न देने पर 3 माह के सामान्य कारावास का दण्ड भी दिया जा सकता है।

ह0/–अपठित,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/240–भाग 3–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।